Form no. III
फर्दहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

औमप्रकाश बनाम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 प्रकरण सं. 123 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये।
5.10.20	आज यह पत्रावली बाद रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के नाम से चक 3 टी.टी.डी.ए. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 9/15 जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के प.न. 191/19 का कि.न. 21, 22 की 0.506 है. अ.क. व प.न. 191/21 का कि.न. 1/2 में 0.215 है. कि.प. 2 ता 4 में 0.759 है. कि.न. 7, 8 में 0.506 है. अ.क. कुल 1.480 है. अ.क. इस प्रकार कुल 1.9860 है. भूमि अ.क. खातेदारी दर्ज है। इसके साथ साथ यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी के खाना सं. 4 में मुझ प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र श्री हीर सिंह अंकित है, सामान्य बोलचाल में औम सिंह व औमप्रकाश दोनों नामों से पुकारा जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में औम प्रकाश अंकित कर दिया गया है जिसे वह दुरूस्त करवाकर औमप्रकाश की जगह औम सिंह अंकित करवाना चाहता है क्योंकि मुझ प्रार्थी का नाम निर्वाचन नामावली गांव 2–3 जेड़ डब्ल्यू एम. थालोड़ा चक भैररूसरी के भाग सं. 189 की कम सं. 313 पर ओम सिंह पुत्र श्री हीर सिंह वा आधार कार्ड सं. 4449–0820–1408 में भी ओम सिंह पुत्र श्री हीर सिंह दर्ज है, भामाशाह कार्ड सं. र्ट्श्र्ठभ्भ व मूल निवास प्रमाण पत्र में भी ओम सिंह पुत्र श्री हीर सिंह दर्ज है, सरपंच ग्राम पंचायत ठेठार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2020 व सरपंच ग्राम पंचायत भैरूसरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.07.2020 में भी औमप्रकाश व ओम सिंह पुत्र श्री हीर सिंह अंकित करने की अनुशंसा की है, उक्त तमाम दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपार्ट तहसीलदार सूरतगढ़ व पटवारी हल्का की तलब की गई उसमें भी पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया है कि औम प्रकाश व औम सिंह एक ही व्यक्ति है इसे दोनों नामों से पुकारा जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह उक्त भूमि की बाबत के.सी.सी. बनवाने हेतू बैंक गया तो उन्होनें रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात बताया कि पहले रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाओ इसी कारण से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र श्री हीरसिंह के स्थान पर औमप्रकाश उर्फ औम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह अंकित करने के आदेश फरमावें ताकि प्रार्थी को के.सी.सी. बनाने मुख्यमंत्री योजना प्रधान मंत्री कोष से मिलने वाला अनुदान में दिक्कत आ रही है व बाधा दूर होकर प्रार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। अंत में निवेदन किया कि औमप्रकाश पुत्र श्री हीरसिंह के स्थान पर औमप्रकाश उर्फ औम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह राजपूत वाके चक 3 टी.टी.डी.ए. का जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 में दुरूस्त करने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थनापत्र के मुताबिक प्रार्थी का नाम औम प्रकाश उर्फ औम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह दर्ज करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला रिकॉर्ड दस्तावेज से	

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:45:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म जो हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बखूबी साबित है प्रार्थी का नाम औमप्रकाश उर्फ औम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह राजपूत दर्ज होना न्यायोचित है प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व राजवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह का भी शपथ पत्र पेश किया है जिस पर विश्वास करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये वाके चक 2 टी.टी.डी.ए. का जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 9/15 खाना सं. 4 में औमप्रकाश उर्फ औम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह राजपूत नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। हुक्म मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:45:59 IST
Reason: SelfAttested